[श्री शिव नारायण]

आप से कहना चाहता हूं कि इस राज्य में कितना अन्धेर है। हम को डिसिप्लिन की बात बतलाई जाती है। लेकिन सब से पहले डिसिप्लिन को ब्रेक किया होम मिनिस्टर ने और प्राइम मिनिस्टर ने।

18 hrs.

सभापति महोदय : अब माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रक्खें।

I have to bring it to the notice of the House that since the debate has been extended by some time and there are some Members here whose party is still left, we shall have to devote another forty minutes or so before the Home Minister is in a position to reply. Some of the unattached members like Shri Bakar Ali Mirza want to speak. Shri Bakar Ali Mirza has been requesting for the last two days. There are other Members also whose party is left. Tomorrow, before the Home Minister replies, about half an hour or about forty minutes will be devoted for these members so that they can all be accommodated.

Now we shall take up Discussion under Rule 193.

18.1 hrs.

DISCUSSION *RE*: NON-IMPLEMENTATION OF GAJENDRAGADKAR COMMISSION'S RECOMMENDATIONS IN REGARD TO JAMMU AND LADAKH

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : सभापति महोदय, कुछ दिन पहले जम्मू में एक विराट आन्दोलन हुआ था जिस में ढाई हजार के करीब लोग जेलों में गये। आन्दोलनकारियों में महिलायें भी शामिल थीं जिन की गोद में छोटे छोटे बच्चे थे। आन्दोलन का नेतृत्व जम्मू और काश्मीर के वयोवृद्ध नेता पं० प्रेमनाथ डोगरा ने किया। जिन के प्रति समान रूप से आदर की भावना सारे देश में व्याप्त है। जीवन के अन्तिम चरण में, 89 वर्ष की अवस्था में, शांतिपूर्ण तरीके से कानून का उल्लंघन कर के डोगरा जी को जेल क्यों जाना पड़ा, यह एक सार्वजनिक महत्व का विषय है।

यह आन्दोलन राजनीतिक नहीं था, आर्थिक मांगों को ले कर था। इतना बड़ा आन्दोलन जम्मू में पहले कभी नहीं हुआ। इस सदन को विचार करना होगा कि कौन से कारण हैं जिन से जम्मू की जनता इतनी असन्तुष्ट हो गई? कौन सी परिस्थितियां हैं जिन्होंने जम्मू के नागरिकों को कारागार में जाने के लिये विवश किया?

जम्मू और काश्मीर भारत का अटूट अंग है। हमारा प्रयत्न होना चाहिये कि हम शेष भारत के साथ जम्मू और काश्मीर के सम्बन्धों को और भी मजबूत करें। लेकिन साथ ही यह भी प्रयत्न होना चाहिये कि जम्मू और काश्मीर के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उन के बीच में विकास में, शिक्षा में, नौकरियों में जो असन्तुलन है उस का निराकरण करें। यह दुख का विषय है कि जम्मू और काश्मीर की सरकार गत अनेक वर्षों से जम्मू और लद्दाख के प्रति भेदभाव की नीति अपनाती रही है। इस नीति के विरुद्ध जनता में असन्तोष जागा है जिस के फलस्वरूप राज्य सरकार को केन्द्र के साथ परामर्श कर के श्री गजेन्द्रगडकर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त करना पड़ा था। उस आयोग की रिपोर्ट आये हुए एक वर्ष से अधिक हो गया, लेकिन अभी तक आयोग की सारी सिफारिशें लागू नहीं की गईं। जो असन्तोष है वह मुख्यतया आर्थिक विकास, नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व, शिक्षा सुविधाओं और राशन देने में जो भेद भाव होता है उस को ले कर है।

तीसरी योजना में केन्द्र की ओर से जम्मू-काश्मीर की सहायता के लिए 235 करोड़ रुपया ग्रांट्स इन एड और 190 करोड़ रुपया ऋण के रूप में दिया गया था। इस तरह से कुल मिला कर 425 करोड़ रुपया दिया गया था। इस में जम्मू-काश्मीर की स्वयं की आमदनी शामिल नहीं है। लेकिन इस 425 करोड़ में से जो जम्मू पर रुपया खर्च किया गया वह मुश्किल से पच्चीस प्रतिशत था और लद्दाख पर खर्च किया जाने वाला रुपया पांच फी सैंकड़ा से अधिक नहीं था।

सब इस बात को जानते हैं कि जम्मू क्षेत्र और काश्मीर की घाटी की आबादी लगभग बराबर है । काश्मीर की घाटी की आबादी थोड़ी अधिक है । लेकिन जम्मू का क्षेत्र काश्मीर की घाटी से दुगना है । जहां तक लद्दाख का प्रश्न है, अकेला लद्दाख बाकी सारे राज्य के क्षेत्र के बराबर है । ऐसी स्थिति में विकास के लिए जो रुपया खर्च किया जाता है उस में इतना भेदभाव करने की क्या आवश्यकता है ?

लद्दाख या जम्मू में स्वाधीनता के बाद कोई भी बड़ा उद्योग स्थापित नहीं किया गया । कहा जाता है कि उद्योग के लिए बिजली की आवश्यकता है । काश्मीर की घाटी की तुलना में जम्मू में बिजली का उत्पादन अधिक सरलता से किया जा सकता है । जो अनुमान लगाया गया है उसके अनुसार काश्मीर में पन बिजली की क्षमता बारह सौ मैगावाट की है जबकि जम्मू में यह क्षमता 3100 मैगावाट की है । लेकिन गत 18 वर्षों में काश्मीर में खाली 25 मैगावाट बिजली तैयार करने का प्रबन्ध हुआ है और जम्मू में यह आंकड़ा केवल तीन मैगा-वाट का है ।

कई वर्षों से सलाल पनबिजली योजना की चर्चा हो रही है । अगर यह शुरू की जाती तो न केवल जम्मू काश्मीर लेकिन हरियाणा और हिमाचल के लिए भी यह योजना बिजली दे सकती थी । अनुमान लगाया गया है कि दो पैसा फी यूनिट के हिसाब से सलाल योजना बिजली तैयार कर सकती है । डा० कर्ण सिंह इस समय सदन में मौजूद नहीं हैं । गत नव-म्बर में उन्होंने जम्मू में घोषणा की थी कि अब सलाल प्राजैक्ट को केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले रही है और प्रधान मंत्री महोदया जनवरी में अपने शुभागमन से जम्मू को, अलंकृत करेंगी और अपने कर कमलों से इस योजना का शिला-न्यास करेंगी । जनवरी बीत गई लेकिन प्रधान मंत्री के चरण चिन्ह जम्मू की पवित्र भूमि पर नहीं पड़े । शायद उन्हें दिल्ली से फुर्संत नहीं है । सरकारें पलटना, तोड़ना, डगमगाती हुई सरकारों को टिकाना, इस चिन्ता में निर्माण की सारी समस्याएं पीछे पड़ गई हैं । मैं गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि सलाल प्राजैक्ट की स्थिति क्या है, क्या केन्द्र ने उसे चौथी योजना में शामिल कर लिया है ? उसके लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ? कार्य कब तक प्रारम्भ होगा ? एक बार यह कार्य प्रारम्भ हो जाए तो फिर उद्योग धंधों के लिये हमें इतनी बिजली मिल सकती है जिस के द्वारा हम सारे क्षेत्र का औद्योगीकरण कर सकते हैं ।

किस तरह का भेदभाव किया जाता है, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं । जम्मू में सिमेंट फैक्ट्री लगाने के लिए मशीन लाई गई । वह बाहर से मंगाई गई थी । लेकिन वह फैक्ट्री जम्मू में नहीं लगी । वह मशीन श्रीनगर में चली गई । श्रीनगर भी भारत का भाग है । हम श्रीनगर का भी विकास होता देखना चाहते हैं । काश्मीर की घाटी के साथ भेदभाव हो, यह हमें बरदाश्त नहीं है । लेकिन काश्मीर की घाटी, जम्मू और लद्दाख इस में विकास का संतुलन तो हमें रखना पड़ेगा । यदि हमने नहीं किया तो ऐसा असन्तोष पैदा होगा जो राज्य की एकता को भी खतरे में डाल देगा ।

विकास के बाद सेवाओं का प्रश्न आता है । गजेन्द्रगडकर कमिशन ने सेवाओं के सम्बन्ध में बड़ी ठोस सिफारिशें की थीं । लेकिन सारी सिफारिशों को राज्य सरकार ने स्वीकार नहीं किया, उन्हें कार्यान्वित करना तो अलग रहा । जिले के स्तर पर, रिजन यानी क्षेत्र के स्तर पर बोर्ड बनाना मान लिया गया है । लेकिन राज्य के स्तर पर और गजेटिड अफसरों के पदों को ले कर किसी तरह के बोर्ड की व्यवस्था नहीं की गई ।

अनुमान लगाया गया है कि राज्य के सचिवा-लय तथा राज्यस्तर की अन्य सेवाओं में जम्मू का प्रतिनिधित्व अठारह साल में प्राय: 20 फ़ीसदी घटा है । जम्मू तथा लद्दाख की स्थानीय सेवाओं में 40 फ़ीसदी से अधिक पद काश्मीर

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

घाटी के लोगों को दिये गये हैं । स्थानीय सेवाओं में अगर स्थानीय लोगों को स्थान नहीं मिलेगा तो फिर असंतोष होना स्वाभाविक है । हम यह स्वीकार करते हैं कि सेवाओं में भर्ती गुण के आधार पर होनी चाहिए, क्षेत्र या मजहब के आधार पर नहीं । लेकिन जम्मू-काश्मीर का हाल ही अलग है । वहां सेवाओं में साम्प्रदायिकता का परिचय दिया जाता है और फिर जम्मू तथा लद्दाख के लोगों की उपेक्षा कर के केवल एक ही क्षेत्र के लोगों को भरने की कोशिश होती है ।

मुझे याद है कि जब वर्तमान मुख्य मंत्री श्री सादिक, सत्तारूढ़ नहीं हुए थे, तो उन्होंने पार्लियामेंट के भूतपूर्व सदस्य, मौलाना मसूदी, को 1953 में एक पत्र लिखा था, जिस में स्वयं उन्होंने यह शिकायत की थी कि जम्मू और लद्दाख के लोगों के साथ न्याय नहीं होता है, यहां तक कि जम्मू में अगर चपरासी की जगह ख़ाली होती है, तो उस के लिए भी काश्मीर से आदमी लाना पड़ता है । आज भी परिस्थिति कोई बहुत अधिक बदली नहीं है । शेख़ साहिब चले गये, बख़शी साहब अपदस्थ हो गये और सादिक साहिब का सिंहासन डांवाडोल है । लेकिन सत्तारूढ़ होने से पहले सादिक साहब ने जो आश्वासन दिये थे, वे अमल में नहीं लाये जा रहे हैं ।

गजेन्द्रगडकर कमीशन के अनुसार, 1 अप्रैल 1967 के हिसाब से काश्मीर घाटी की जन संख्या 53.3 फीसदी है, लेकिन सेवाओं में उस को 60.9 फीसदी प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, जब कि जम्मू की जनसंख्या 44.2 परसेंट है, लेकिन सेवाओं में उस का प्रतिनिधित्व केवल 36.1 फ़ीसदी है । लद्दाख का हाल तो और भी बुरा है । 1961-62 के हिसाब से उस की जनसंख्या 2.5 परसेंट थी, जब कि सेवाओं में उस का प्रतिनिधित्व 1.4 परसेंट था ।

एक और भी बड़े खेद की बात यह है कि जम्मू-काश्मीर में सेवाओं के परिगणित जातियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई स्थान सुरक्षित नहीं है, किसी प्रकार की सुविधा नहीं है । शायद सदन को यह बात मालूम नहीं है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 335, जिस में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए रिज़र्वेशन की बात कही गई है, अभी तक जम्मू-काश्मीर में लागू नहीं किया गया है । जब कभी वहां पर सरकारी आदेश के द्वारा परिगणित जातियों के साथ न्याय करने का प्रयत्न किया जाता है, तो कोई सांविधानिक आधार न होने के कारण उस को ठीक तरह से कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है ।

सम्पूर्ण जम्मू-काश्मीर राज्य में शिड्यूल्ड कास्ट्स की जनसंख्या 7.98 परसेंट है । गजेन्द्रगडकर कमीशन ने सिफारिश की है कि उन को नौकरियों में उन की जनसंख्या के अनुपात से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए । यह आवश्यक है कि हम परिगणित जातियों में भी देखें कि योग्य कौन है और अयोग्य कौन है । लेकिन मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि जम्मू काश्मीर में परिगणित जातियों में योग्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं । लेकिन अगर उन के लिए संरक्षण नहीं है, तो आगे बढ़े हुए वर्गों के साथ दौड़ में उन के लिए टिकना मुश्किल होगा । हमारी मांग है कि संविधान का अनुच्छेद 335 जम्मू-काश्मीर में लागू किया जाये, जिस से वहां की परिगणित जातियों और ट्राइब्ज को नौकरियों में संरक्षण मिल सके ।

भेदभाव किस सीमा तक जा सकता है, यह वहां के खाद्यान्न के वितरण को देख कर समझ में आ सकता है । क्या आप किसी ऐसे राज्य की कल्पना कर सकते हैं, जिस के दो भागों में राशन की मात्रा अलग अलग हो ? क्या किसी ऐसे प्रदेश की कल्पना कर सकते हैं, जिस के दो भागों में सरकारी राशन अलग अलग कीमतों पर दिया जाता हो ?—एक भाग में राशन अधिक हो और दूसरे में कम हो, एक भाग में राशन की कीमत अधिक हो और दूसरे में कम हो ? जब गजेन्द्रगडकर कमीशन के सामने यह बात लाई गई, तो उन्हें यह सारी स्थिति बड़ी

हास्यास्पद लगी । उन्होंने सिफ़ारिश की—मैं उद्धृत करता हूँ :

> "We recommend that the State Government should review their whole price policy both for the procurement and for the issue of foodgrains and introduce uniform prices for grains throughout the two regions."

आज स्थिति यह है कि श्रीनगर में एक महीने में एक व्यक्ति को 11 किलो चावल और 2 किलो गेहूं का आटा मिलता है, कुल राशन 13 किलो है । लेकिन जम्मू में 3.45 किलो चावल, 6.90 किलो आटा अर्थात 10.35 किलो राशन दिया जाता है । गजेन्द्रगडकर कमीशन के सामने राज्य सरकार ने एक तर्क रखा था—चूंकि काश्मीर की घाटी में ठण्ड ज्यादा पड़ती है, इस लिये लोगों को भूख ज्यादा लगती है और क्या जम्मू में गर्मी ज्यादा है, इस लिये लोग पानी पीकर गुजारा कर सकते हैं, उन के लिये अन्न की आवश्यकता नहीं है । इस पर गजेन्द्रगडकर कमीशन ने लिखा है—

> "The State Government explained this difference on the ground that rice is less nutritious than wheat/atta and that on account of the colder climate of Srinagar city the consumption of food is higher in Srinagar city than in Jammu city."

क्या देश में चावल खानेवाला केवल जम्मू-काश्मीर प्रदेश ही है ? और प्रदेशों का भोजन भी चावल है, चावल को अन्नम् कहा जाता है, लेकिन चावल के वितरण में भेदभाव करना, अधिक मूल्य लेना—यह केवल जम्मू-काश्मीर में हो रहा है ।

सभापति जी, केवल राशन की मात्रा में ही अन्तर नहीं है, दामों में भी अन्तर है । वैसे तो जो भी अनाज जाता है, बाहर से जाता है, अधिकांश अनाज पहले जम्मू में जाता है और फिर वहां से श्रीनगर पहुंचता है, इस लिये अनाज जम्मू में सस्ता पड़ना चाहिये और श्रीनगर में महंगा पड़ना चाहिये, क्योंकि श्रीनगर तक अनाज ले जाने में यातायात का भी खर्चा होता है, मगर जम्मू-काश्मीर में गंगा ही उल्टी है । वहां श्रीनगर तक अनाज ले जाने में ज्यादा खर्च करना पड़ता है, मगर वहां अनाज सस्ता है और जम्मू में जहां से अनाज जाता है, वहां अनाज महंगा है । जम्मू में चावल 40 रु० प्रति क्विंटल और गेहूं का आटा 44 रु० प्रति क्विंटल है । मुफस्सिल में गेहूं का आटा 55 रु० और चावल 50 रु० है । देश में हम चावल महंगा देखते हैं और गेहूं सस्ता देखते हैं, इसी लिये देश में यह अभियान चल रहा है कि लोग चावल न खायें, गेहूं खायें, क्योंकि गेहूं अधिक उपलब्ध है, चावल की उपज कम है । चावल के लिय हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है । लेकिन जम्मू-काश्मीर में स्थिति यह है कि चावल खायेगा तो कम दाम देना पड़ेगा और गेहूं खायेगा तो ज्यादा सज़ा भुगतनी पड़ेगी । क्या जम्मू-काश्मीर अखिल भारतीय नीति की चौखट में नहीं आता है ? क्या क्षेत्र के अनुसार राशन के दाम अलग अलग रहेंगे ? क्या इस से राज्य की एकता बनाये रखने में मदद मिलेगी ?

अभी हाल में जनसंघ की ओर से जम्मू में जो आन्दोलन चला, उसके परिणामस्वरूप स्थिति कुछ सुधरी है, लेकिन अभी तक राशन की मात्रा में भेद-भाव कम नहीं हुआ है । इस के बाद भी काश्मीर की घाटी में अधिक राशन रहेगा और जम्मू में कम तथा दामों में भी अन्तर रहेगा । अभी जम्मू काश्मीर की सरकार ने जम्मू के गांवों में अनाज की कीमत को बढ़ा दिया था, लेकिन जम्मू की जनता के तीव्र आंदोलन के परिणाम-स्वरूप यह कीमत उन्हें वापस लेनी पड़ी, अभी तक भेदभाव समाप्त नहीं हो रहा है, यह भेद-भव समाप्त होना चाहिये ।

जहां तक शिक्षा का प्रश्न है—गजेन्द्रगडकर कमीशन ने साफ़ कहा था कि जम्मू तथा काश्मीर में अलग अलग विश्वविद्यालय होने चाहियें । विश्वविद्यालय बने हैं लेकिन जम्मू के विश्वविद्यालय के लिये व्यक्ति सब श्रीनगर से लाये जा रहे हैं । उस विश्वविद्यालय के लिये भारत के किसी भी भाग से योग्य व्यक्ति लाने के मैं विरुद्ध नहीं हूं । लेकिन यदि स्थानीय योग्य व्यक्ति उपलब्ध हैं, तो पहले उन्हें अवसर दिया जाना चाहिये । मेडिकल

[श्री अटल बिहारी बाजपेयी]

कालिज की बात भी गजेन्द्रगडकर कमीशन ने कही थी, लेकिन सरकार कह रही है जम्मू में मेडिकल कालिज 1972 में शुरू होगा। क्या मैडिकल कालिज 1970 में शुरू नहीं हो सकता ? अभी भी जम्मू के व्यक्ति श्रीनगर में जाते हैं, जम्मू के अध्यापक भी मैडिकल कालिज में काम कर रहे हैं। सरकार अगर संकल्प कर ले तो मैडिकल कालिज जल्द प्रारम्भ करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

कुछ और भी भेदभाव हैं। उदाहरण के लिए गजेन्द्रगडकर कमीशन ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि जो रोड टाल हैं, जो सड़क पर चुंगी के नाके हैं, सभी जम्मू में हैं, कश्मीर की घाटी में चुंगी का नाका कोई नहीं है। कमीशन ने सिफारिश की थी कि इस पर विचार किया जाये। केवल एक ही क्षेत्र को चुंगी के नाकों के लिये जुटाया जाये और उनसे होने वाली आमदनी को उस क्षेत्र में न लगाया जाये, यह बात ठीक नहीं है। इसका परिणाम वहां की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। इसलिए चुंगी के नाकों के बारे में पुर्नविचार होना चाहिए और सही नीति अपनाई जानी चाहिए।

भेदभाव किस सीमा तक है वह इससे भी प्रकट होता है कि सीज फायर लाइन के पांच मील तक जो बसे हुए हैं उन्हें बैकवर्ड होने की सुविधायें दी गई हैं, पांच मील के भीतर जो कर्मचारी हैं उनको विशेष एलाउन्स दिया जाता है लेकिन पाकिस्तान के साथ जो इन्टरनेशनल बार्डर है उस पर बसे हुए लोगों को और राज्य कर्मचारियों को कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है। क्या सीज फायर लाईन ही विभाजक रेखा है, इन्टरनेशनल बार्डर पर रहने वाले लोगों को दुश्मन का सामना नहीं करना पड़ता ? लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जम्मू से जाती है और सीज फायर लाईन कश्मीर की घाटी में। पिछले बीस सालों से सीज फायर लाइन पर रहने वाले तो फायदे में और अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर रहने वाले घाटे में— यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है।

सभापति महोदय, आपको स्मरण होगा कि 50 हजार विस्थापित परिवार, पाकिस्तान के निर्माण के पश्चात् विभिन्न क्षेत्रों से और कश्मीर का जो भाग पाकिस्तान में चला गया वहां से आये लेकिन उन्हें कश्मीर की घाटी में नहीं बसने दिया गया, उन्हें जम्मू में ढकेल दिया गया। केन्द्रीय सरकार ने उनके लिए 35 सौ रुपया प्रति परिवार दिया लेकिन राज्य सरकार ने उसमें से 25 सौ रुपया जमीन और क्वार्टर के लिए ले लिया परन्तु उन विस्थापितों को उस जमीन और क्वार्टर के लिए अभी तक प्रोप्राइटरी राइट्स नहीं दिए गए हैं। इस सम्बन्ध में विधान सभा की पिछली बैठक में एक बिल आया तो श्रीनगर में हंगामा हो गया। सरकार झुक गई और वह बिल वापिस ले लिया गया। क्या विस्थापितों के साथ न्याय नहीं होगा ? जिस जमीन को वे जोतते हैं, बोते हैं, जिस मकान में वे रहते हैं, जिसकी कीमत वे अदा कर चुके हैं क्या उसके मालिकाना हक उन्हें नहीं मिलेंगे ? क्या केवल इस आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जायेगा कि वे जम्मू में विस्थापित हैं, कश्मीर की घाटी में नहीं हैं ?

भेदभाव का एक उदाहरण यह भी है कि दस साल हो गए लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर में नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं हुए। गजेन्द्रगडकर कमिशन ने सिफारिश की है कि चुनाव न कराने के कारण भी लोकतन्त्र कुंठित हो जाता है, जनता को अपना शासन चलाने में हिस्सेदार बनने का अवसर नहीं मिलता। ये चुनाव तुरन्त कराये जायं। गत वर्ष में पांच बार चुनाव की तारीख निश्चित हुई लेकिन पांचों बार चुनाव टाल दिये गये। सन 1964 में मुख्य मन्त्री, सादिक साहब ने कहा था कि सत्ता में आने के बाद एक वर्ष में हम चुनाव करायेंगे लेकिन पता नही उनका एक वर्ष कितना लम्बा होता है ?

सभापति महोदय, जम्मू-कश्मीर हमारे पर्यटन का क्षेत्र है, हजारों पर्यटक यात्री देश विदेश से जम्मू कश्मीर की यात्रा करते हैं। कश्मीर की घाटी बड़ी मनोरम है। प्रकृति ने अपना

सौंदर्य मुक्त हृस्त से वहां पर लुटाया है । लेकिन जम्मू में भी कुछ ऐसे स्थान हैं जिनका विकास किया जा सकता है । राज्य सरकार ने पर्यटन पर पिछले 18 वर्षों में 6 करोड़ रुपए खर्च किए हैं किन्तु उसमें से कुछ भी रुपया जम्मू में र्च नहीं किया गया । ऐसा लगता है कि जम्म पर्यटन के मानचित्र पर नहीं है । विभाजन के पूर्व हजारों पर्यटक कुंड, भटोई, भद्रवाह और सनासर में प्रकृति के आनन्द का उपभोग करते थे लेकिन विभाजन के बाद यह स्थिति बदल गई है । पर्यटन केन्द्रों का विकास करने के मामले में भी जम्मू की उपेक्षा की जा रही है । डा० कर्णसिह यहां पर नहीं हैं, मैं उनसे पूछता कि सारे देश में पर्यटन के विकास के लिए 9 या 10 करोड़ रुपया रखा गया है जिसमें से 3 करोड़ जम्मू कश्मीर के लिए है । उस तीन करोड़ में से जम्मू पर कितना रुपया खर्च होगा ? अभी जम्मू में खाली एक होटेल बनाया है और एक यूथ हास्टेल प्रारम्भ करने की बात है । लेकिन भद्रवाह, सनासर में ऐसे स्थान है जिनका यदि विकास किया जाये तो वहां पर पर्यटक निवास कर सकते ह । आज तो स्थिति यह है कि जम्मू में कोई रुकता नहीं, लोग सीधे श्रीनगर चले जाते हैं । जो उड़कर जाना चाहें वह जा सकते हैं लेकिन जम्मू होकर जान वालों के लिये पर्यटन क्षेत्रों का विकास भी करना चाहिए ।

अन्त में एक बात कहकर समाप्त कर दूंगा । मैंने निवेदन किय कि हमें जम्मू कश्मीर और शेष भारत के सम्बन्धों को सुदृढ़ करना है और इसके लिये आवश्यक है कि जम्मू कश्मीर की जनता संतुष्ट रहे । इसके लिये यह भी आवश्यक है कि जम्मू कश्मीर के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनके साथ न्याय किया जाय । और यह भी जरूरी है कि जम्मू कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाले जितने भी मार्ग हैं वह खोले जायें । अभी रेल गाड़ी जम्मू तक नहीं पहुंची है । कब तक पंहुचेगी ? किस मन्थर गति से चल रही है ? क्या परिस्थिति जितनी तेजी से बदल रही है उसी गति से निर्माण हो रहा है ? फिर भद्रवाह और चम्बा को जोड़न के लिय जो सड़क बनायी जा रही है वह कब पूरी होगी ? हिमाचल सरकार ने सड़क बना दी, जम्मू की सीमा तक सड़क आ गई, मगर 8, 10 मील का इलाका जम्मू-कश्मीर की सरकार बनाने के लिये तैयार नहीं है । क्या यह भारत से जोड़न के लिये दूसरे रास्ते नहीं खोलना चाहती ? क्या वह साम्प्रदायिकता की भावना से प्रेरित है ?

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू और लद्दाख के साथ न्याय होना चाहिये । लोगों के धैर्य का बांध टूट रहा है । देश में जो परिवर्तन हो रहे हैं उससे वहां की जनता भी प्रभावित हो रही है । अलग मेघालय बन गया जनता के मन में नयी आशाएं जाग रही हैं । तेलंगाना में बगावत हो रही है । जम्मू की जनता संयम से कब तक काम लेती रहेगी ? मैं जम्मू के नेताओं को बधाई देना चाहता हुं कि उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाया, शान्तिपूर्ण आन्दोलन किया और जब समय आया तो उस आन्दोलन को खत्म भी कर दिया । लेकिन जब तक भेदभाव समाप्त नहीं होगा तो जम्मू की जनता को और लद्दाख के निवासियों को काबू में रखना मुश्किल होगा । मैं गृहमंत्री से कहना चाहता हूं कि परिस्थिति काबू से बाहर हो जाय, क्षेत्रीय असंतुलन को लेकर विघटन की मांगें खड़ी हों, उससे पहले जम्मू कश्मीर की सरकार को तैयार करके भेदभाव को दूर कराने का प्रयत्न करना चाहिये ।

SHRI INDER J. MALHOTRA (Jammu): Mr. Chairman, Sir, I am glad that Shri Vajpayee raised this discussion which has provided an opportunity to this House to take note of certain economic and political problems which are now being faced by the people of Jammu and Kashmir State. At the same time and at the very outset I would like to appeal to this august House that in our enthusiasm to see that all the recommendations of this Commission are implemented. We should not try to create an atmosphere which could help those forces who want the disintegration of Jammu and Kashmir State.

When this Commission was appointed the main purpose not only before

[Shri Inder J. Malhotra]

the Government but before the people also was that we must know and try to remove whatever factors and causes were existing which were hampering the economic development of the three distinct regions of the State. After this report had come most of the recommendations were accepted by the State Government and some of the recommendations have already been implemented.

I quite agree that there are still two or three basic recommendations about which no steps have been taken. When I blame the State Government for delaying the implementation of the major recommendations of this report I would also put some blame or responsibility on the Central Government as to why the Central Government did not take note why the State Government was taking so long and was delaying the implementation of those recommendations.

Shri Vajpayee referred to the agitation of the Jana Sangh.

As far as the people of Jammu region are concerned, he should not have misapprehensions about the political leadership which the Jana Sangh claims there. I would like to remind him that in the 1967 elections the majority of the seats in the State Assembly were won by the Congress Party which is ruling in that State. Both the parliamentary constituencies of the Jammu region were also won by the Congress Party. So, to make this tall claim that the Jana Sangh is the only political party which has always been advocating the aspirations of the common people of Jammu is an attempt to create a wrong impression in the House.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: I do not make such a claim. I challenge the Congress Party to start an agitation and to send 2500 volunteers in jail.

SHRI INDER J. MALHOTRA : I accept your challenge. But the only difficulty is that we have to implement the things in the right way. You have only to agitate. We will not be cowed down by you.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : All right; you get them implemented.

SHRI INDER J. MALHOTRA : He said that 2500 people courted arrest. It is not difficult for any political party to get 2500 people to court arrest. As they claim, there was an agitation going on for the last one month. Where was the common man's enthusiasm for that agitation? The common man was never concerned with it. There was only a political motive behind this. By linking every problem with the political capital to be made out of it, they spoil the whole case. As far as the problems of foodgrains and ration are concerned, we in the Congress Party are also as much concerned as they are.

I would like to say only one thing that as far as the rights of the Jammu people are concerned, we are more concerned to see that their rights are protected. As far as the economic problems are concerned, we are more concerned to see that these problems are solved. But since we have the responsibility to give them administration, since we are running the Government there, we have to see from a different aspect and different concept as to how these problems can be solved.

Mr. Vajpayee referred to most of the recommendations which were made in this Report. Be he left out one of the basic major recommendation made about the land reforms. How can the lot of the common man be lifted? Who are the common people ? Who are the majority of the people? They are the farmers. The land reforms were introduced first in the Jammu and Kashmir State. Unfortunately, those land reforms ran into trouble. Now, the Jammu and Kashmir Government appointed the Land Reforms Commission and that Commission has also submitted their report. It is very unfortunate that the State Government has taken no action to see that whatever the recommendations are to be accepted to remove the anomalies and other causes which are causing difficulties for the proper implementation of the land reforms are accepted and the anomalies removed.

Then, I would like to say, when the situation has come to this, the responsibility will now fall upon the Central Government. The Central Government should also get this Report examined in the Home Ministry and see that whatever recommendations are necessary to be implemented for the better economic uplift of the people, not only of the

Jammu region, not only of the Ladakh region, but of the Kashmir region also, are implemented. They must take the responsibility to provide the necessary funds, the necessary technical assistance, and see that those recommendations are implemented.

Mr. Vajpayee also made a reference to the refugee problem. I share his feelings as far as this problem is concerned. There are two categories of refugees in Jammu and Kashmir. One is the category of refugees who migrated from West Pakistan in 1947 after Partition. They have settled in different parts of the Jammu region. They have got no right to hold any property. They have been living there for the last 20-22 years. Their children are born there, their children are educated there. But they have no rights. The first time when direct elections took place, as far as the Lok Sabha is concerned, in 1967. it was the first time in their life when they voted and they saw the ballot paper. They voted for the Parliamentary elections. Now, time and again, we have been impressing upon the Central Government that, as far as this problem is concerned, this is a very grave problem. 22 years is a long period for any Government to solve the problem. The Central Government should take note of this problem and they must see that, before 1972 elections are held and these people are given the right to vote for the State Assembly also.

Then, Sir, the second category is the people who migrated from Pakistan-occupied area. Now, land has been allotted to them. Houses have been allotted to them but, as has been pointed out, they have got no proprietary rights either over the land or the house. The State Government from time to time considered certain proposals. They came out with a legislation also. But again that legislation ran into troubled waters. These are the basic problems on which the State Government alone cannot take decision, implement and solve them. I would urge upon the hon. Home Minister that the problems have come to a point where they can turn into a grave situation. Now, they must take the responsibility on their shoulders, sit down with the State Government, try to thrash them out and come to a solution as soon as possible.

It is true that most of the educational institutions in the past were located in the Kashmir valley. We have no grudge against that. We wish more educational institutions should be opened in the Kashmir valley. But, unfortunately, none of the technical colleges was located in the Jammu region. As the Commission has very rightly pointed out, the location of existing educational institutions need not be disturbed, but in whatever expansions are to be made, whatever new institutions are to be opened, Jammu should get its due share. Likewise, as far as Ladakh area is concerned, there is no degree college and other institutions. Government should also pay attention to that area also.

In the end, I would like to urge, as I said in the beginning, let us not try to make political capital out of the non-implementation of these recommendations. Unfortunately, it is a fact that the State Government has slackened, has delayed taking a decision. The State Government has delayed the implementation of the recommendations. Now, I would urge upon the Central Government to take more interest and feel its responsibility and see that all these recommendations are implemented.

SHRI H. N. MUKERJEE (Calcutta North East): Mr. Chairman, Sir, I am grateful to you for having given me this opportunity. But I must say that even though I am ready for anything in this House these days, I am a little surprised that we are discussing this subject in an almost cavalier fashion. My friend, Shri Vajpayee, knows very well how delicate and sensitive is the problem of Jammu & Kashmir and its relationship with the rest of India and I hope he would tread on that ground a little more carefully. Anyhow, the subject is being discussed and this House ought to express itself.

Since I have very little time, I can only point out that the Gajendragadkar Commission itself has remarked in paragraph 4 of its report:

> "We do not think that on the basis of the material available to us we would be justified in concluding that the State Government have deliberately discriminated against either Jammu or Ladakh."

In view of this clear statement, I don't think we should, from this forum, castigate a State Government when India is a Union of States and whatever State Government is concerned, they have certain rights which should not be infringed upon. I also repeat what my friend, Mr. Malhotra, said a little while

[Shri H. N. Mukerjee]

earlier that almost all the recommendations of the Gajendragadkar Commission have been accepted. In the matter of implementation, we know very well how slowly the wheels of Government move and if in regard to implementation some delay has taken place, we should not haul the Jammu & Kashmir Government over the coals.

My friend, Mr. Vajpayee, has referred to the idea of the Scheduled Castes getting a better deal. I find from the information at my disposal that the recommendation which was relevant has been accepted and is in the process of implementation and that from 1970-71 the Scheduled Castes would get some special privileges.

Sir, in regard to the difference in the allocation of rations as between Jammu and Kashmir and the difference in prices, we know very well that there are many factors which make for the difference in prices. I am not here to justify what was done in Jammu and Kashmir. I don't know the ins and outs of it; but it is not unlikely that for some special reasons, topographical or otherwise, there were some differences. And, even though Mr. Vajpayee did score a debating-point,—by saying how the people of Jammu were supposed to quench their hunger by drinking some more water because the place was comparatively warm,—it is only a debating point. It may be that in the Kashmir valley which in certain months of the year is liable to be cut off from the rest of the country and supplies might be held up, it is better to ensure for certain reserves so that in the difficult winter months it may not be in a very great difficulty.

SHRI BAL RAJ MADHOK (South Delhi): Jammu is as cold as Kashmir. It is all snow-covered; a large part of Jammu too.

SHRI H. N. MUKERJEE: It may be, Sir. That is why I said, I do not know the details of it. I would leave it to the Government to go into the details of this kind of matter.

Here is a Commission which reported, made recommendations; most of the recommendations are accepted—almost all—and they are in the process of implementation. Both in regard to Jammu and Ladakh the Commission says very clearly that "deliberately discrimination has not been practised." And, the Gajendragadkar Commission also has gone out of its way to remark upon the special character of the Jammu and Kashmir Government, its secular policies and the fact of the freedom of expression which has been allowed to people who might ostensibly be looked upon as having said something which goes against the verbal wording of the Constitution of India. But the Gajendragadkar Commission says "Freedom of expression is allowed to be exercised uninterruptedly in such a sensitive area as Jammu and Kashmir" which speaks volumes for the spirit and strength of Indian democracy. Here is a State, a difficult State, a delicately poised State, which is trying its hardest to integrate itself even better with the rest of the Indian community, and it is not right for the Indian Parliament to put a spoke in the wheel. Let us try to help the Jammu and Kashmir Government if we can. And if I certainly have anything to do with the Kashmir Government I would resent this kind of a discussion. If the Bihar Government is hauled over the coals because Champaran area is comparatively neglected, if the Andhra Government is hauled over the coals with a special discussion because Rayalaseema area is not properly looked after, if the West Bengal Government is hauled over the coals because in Purulia and some other areas something that is necessary is not done, then, where do we stand and how do we function in this Union of States? And, that is why, I think that Shri Vajpayee's Motion was uncalled for. But, even so, he has brought up certain matters. And, I do hope that the Home Minister would explain the position and see to it that no fissures take place as between Jammu and Kashmir and the rest of India.

SHRI AHMAD AGA (Baramulla): Mr. Chairman, Sir, it is unfortunate that a motion like this has come from Shri Vajpayee. I wish such motion should not have come up as it will only encourage separatist tendencies and sow the seeds of discord. We have been living together and we want to continue to live together in harmony both in Kashmir as well as in Jammu. The correct facts are not known to Mr. Vajpayee.

Sir, if we look to the Central projects which are now being undertaken, we see that in Kashmir they are proposing

to set up one small unit of the Indian Telephone Industries and one unit of Hindustan Machine-tools for manufacture of watches. But in Jammu region we are having Railway line upto Jammu which will give economic benefits to Jammu region. We are going to have a hydro-electric project at Salal. A Motel is already under construction in Jammu. The Oil and Natural Gas Commission are taking up Saruinsur area for driling of oil. If Kashmir says, we must also have oil, how can that be done? If it is not there, it cannot be done.

So, we can not always say that if anything happens at one place the same thing might happen elsewhere also. We are proposing to have a cement factory in Jammu near Basohli as also a Chemical Pulp Project in Jammu region. That being the case, it is unfortunate that such motions are brought forward here. I am only reminded of the following:

कैसे गुजरोगे मराहल मे सफर के तावां,
तुम कि मंजिल से शिनासा हो न रस्ता जानो।

کیسے گزرو گے مراحل سے سفو کے تاباں –
تم کہ منزل سے شناسا ھو نہ رستہ جانو –

We have to understand Kashmir in certain background. But before I come to that background I would like to refer to Gajendragadkar Commission with regard to one or two points. On page 28 you will find that the per capita expenditure during the Third Plan was Rs. 186.87 in Jammu but it was Rs. 158.91 in Kashmir. In Ladakh it was Rs. 1,154. Where is the discrimination? This is the expenditure. Now if we go to the development of industry, on page 35 you will find in the same report a list of industries under two heads J & K Minerals and J & K Industry. There is no use reading it out. But I shall only request Shri Vajpayee to look into that. I have no time to read it out. A Medical College has been recommended by Gajendragadkar Commission in Jammu. That cannot be had overnight. The recommendation have come here perhaps a year ago. Equipment has to be bought; Professors have to be found out and even allocation from the Centre has to come. The allocation has not yet come. It is only after we have this allocation that we can have a medical college. The Chief Minister has promised or rather announced that boys will be admitted in Srinagar College in the name of Jammu College. After a certain period, say six or seven months or even a year, when the College comes up there, we shall shift them back to Jammu College. Already the demand for a university has been met. There is a university in Jammu. The recommendation with regard to a Law College in Jammu has also been met. So there is nothing in which the State Government is lacking. In regard to implementation of other recommendations, I can say that development boards are comming up. Of course the State Government admits that with regard to Recommendation No. 38, that is about anomalies in landreforms, they have not yet been able to implement. That is perhaps the only recommendation which has not yet been implemented. About this I want to give you some background. Kashmir, in 1857, was sold to Maharaja Gulab Singh and when it was sold to him that included the land and everything. No cultivator or no landholder owned the land. The feeling was that they were likely to be thrown out. There was no security of tenure. Now the fact is that an agitation was started in 1931 with regard to security of tenure. That agitation finally culminated in this way that in 1938 the National Conference—a Political Party adopted an economic programme known as Naya Kashmir. Muslim League at that time was dominated by landlords. They did not approve of this Plan because they were themselves the landlords. It was the Indian National Congress which gave its blessings to that prgoramme of Naya Kashmir. And that was one reason and perhaps the main reason why Kashmir wanted and tried its best to accede to India. That is the background. Our Indian leaders like Shri Jawaharlal Nehru approved of our economic programme. After Kashmir had acceded to India what the popular Government did as a first step was to have the Act for abolition of big estates. That was introduced in 1948-49.

I can understand that there could be anomalies because it was rushed through and done at once because there was no time to waste on this. The people were agitating for over a century for security of tenure and they had acceded to India because they wanted a socialist programme. So they could not wait and it had to be done at once.

The Wazir Committee was appointed. It gave its report. But the State Government could not for certain reasons

[Shri Ahmed Aga]

implement it. A Land Commission was appointed. We have to understand the background in which these land reforms were effected. It is not the same thing as here; it is entirely a different background there. If in that background there has been any delay in removing this lacuna, it should be understood in the background I have stated.

With regard to food, Shri Vajpayee said that there is discrimination and differentiation. I have figures here. Kashmir meets its own needs by 39.9 per cent, and Jammu by 27.9 per cent. Procurement in Jammu is 4.8 per cent and in Kashmir 9.5 per cent. The sale rates of foodgrains are the same.

It is said that in Kashmir they get a little more in quantity per head than in Jammu. The figures are 156 kg for Srinagar and 126 in Jammu. This also has to be understood. Even since the time of King Lalitaditya, Srinagar had a little more. It has been so during and after the first world war. They have a little more in quantum because they have nothing else to eat. So this is not very surprising.

Then he asked why the price in Srinagar be not the same as in Jammu. I have not been able to understand it. He grudges if the price in Srinagar is a little less. If we take the subsidy, it is the same in Jammu and Kashmir.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Not the same.

SHRI AHMED AGA: This is what the Gajendragadkar Commission has said. It is almost equal.

There is certainly one problem which is there in Jammu, about the DPs of 1947. As Shri Malhotra has said, it cannot be solved by the State Government because it requires more money. It has certain legal implications also. We are claiming that the area from which they have come is ours and there will be a day when our people will go back to those places. These people have become old, and children born on this side of the line after they came will certainly not know where their land was. Legal difficulties do exist. I would suggest that the Central Government appoint a high power board or committee to go into this and ease the difficulties of the 1947 DPs.

With regard to the 1965 DPs, 3 lakhs of them have already been rehabilitated by the State Government with the help of the Ministry of Rehabilitation—no small thing.

The real problem in Kashmir is economic. It is unfortunate that we should go on talking about flimsy things like food ration and other things. In both Jammu and Kashmir, we have forest areas but no forest-based industries. Only 20 per cent of the forest area is exploited; 80 per cent is not. Therefore unless this is understood and forest-based industries are established and those forests which are inaccessible are exploited, we cannot do much. Then we have minerals. Even Mr. Gajendragadkar has given these facts. Our statistical data is also there. We have got gypsum, limestone, copper, lead and zinc, but they are not being exploited, no work has been done. It is said that power is not there. Lower Jhelum is not coming up. The Chinani Project has come up. Salal should be taken up, Upper Sirhind must be completed and the mineral wealth must be exploited. Unless this is done, it is not possible for Kashmir to progress, and these flimsy things will always come up here. It will not lead us anywhere and will only create disaffection between the two regions which we very much resent. It is unfortunate that such motions should be brought up on such flimsy grounds, because an agitation was going on by the Jana Sangh there which was born out of the land reform itself, because they belong to the class of landlords.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : सभापति जी, मैं बहुत विस्तार से न कहकर केवल दो तीन बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि अभी हमारे मित्र श्री आगा कह रहे थे कि इस प्रकार की चर्चा सदन में उपस्थित करके पृथकतावादी मनोवृत्ति को बढ़ावा दिया गया है। अब मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि कश्मीर घाटी के अन्दर जो अन्न की मात्रा लोगों को खाने के लिए दी जाती है वह पृथक है और जम्मू के अन्दर जो अन्न की मात्रा दी जाती है वह पृथक है। इसको उन्होंने भी स्वीकार किया है कि कश्मीर-घाटी में जो खाने

के लिए अन्न दिया जाता है वह पृथक है और लद्दाख के प्रतिनिधि श्री कुशाक बाकुला जी यहां पर बैठे हैं, उन के यहां भी जो खाने के लिए अन्न की मात्रा दी जाती है वह पृथक है। इसके आधार पर अब नहीं, दो महीने बाद, तीन महीने बाद जम्मू और लद्दाख में अगर कश्मीर की सरकार के खिलाफ़ एक पृथकता की भावना बढ़ती है तो उसकी जिम्मेवारी सरकार के उस निर्णय पर है या उसकी जिम्मेवारी इस प्रस्ताव पर होगी ? पृथकतावादी मनोवृत्ति को सादिक सरकार बढ़ावा दे रही है या पृथकतावादी मनोवृत्ति को यह चर्चा बढ़ावा दे रही है ? मेरा अपना निवेदन यह है कि कुछ लोग जम्मू कश्मीर में इस प्रकार के हैं जो जान बूझ करके जम्मू और लद्दाख के सम्बन्ध में इस प्रकार का भेदभाव करके एक वातावरण का निर्माण करना चाहते हैं जिससे जम्मू और लद्दाख के लोग मजबूर हो करके कश्मीर घाटी से अलग रहने का खयाल करें। इसमें उनका हित छिपा हुआ है। उनके मन के अन्दर चोर है। मैं जान बूझ कर चोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। लेकिन हमारे राष्ट्र के हित में यह है कि इन दोनों ही क्षेत्रों में, भले ही उनकी संख्या थोड़ी हो, किसी प्रकार से भी इस भावना को नहीं पनपने देना चाहिये। जिससे वे कश्मीर घाटी से अपने को अलग होने की बात कहनी तो दूर, सोचें भी।

सभापति जी, आपको याद होगा कि जब सन 1965 में भारत पाकिस्तान का संघर्ष समाप्त हो गया तो शरणार्थी बेघर हो गए थे उनके लिए भारत सरकार ने यहां से कुछ सहायता भेजी। यहां से कुछ रजाइयां और दवाइयां भेजी गई। खाने के लिए अन्न भेजा गया। वह जम्मू क्षेत्र के लिए भेजा गया था लेकिन उसका उपयोग कश्मीर घाटी के अन्दर हुआ। इस प्रकार की शिकायतें सदन में एक बार नहीं, कई बार सुनने को मिली हैं। वहां पर इस प्रकार की घटनायें यह बताती हैं कि केन्द्र सरकार का उनपर कोई खास नियन्त्रण नहीं है। इस तरह पृथकतावादी मनोवृत्ति को बढ़ाने की जिम्मेवारी कश्मीर सरकार पर होगी। इस प्रकार की चर्चाओं के ऊपर नहीं हो सकती है।

हमारे मित्र कहने लगे कि रेलवे लाइन जम्मू तक ले जाई गई है। मैं उनसे एक मोटी मनोविज्ञान की बात पूछना चाहता हूं कि रेलवे लाइन जमीन पर जाती है या आसमान में जाती है ? जम्मू की भूमि समतल है इसलिए वहां पर रेलवे लाइन पहुंच गई लेकिन श्रीनगर में रेलवे लाइन कैसे पहुंचेगी ? इसमें रेल विभाग ने जम्मू पर अहसान क्या किया है ? वहां की धरती इस योग्य थी, वहां तक रेलवे लाइन गई, आगे भी यदि भूमि समतल हो जायेगी तो आगे को भी चली जायेगी। इस प्रकार की जो छोटी, छोटी बातें हमारे सामने आती हैं उनसे हमको बचना चाहिये।

19 HRS.

एक बात लद्दाख के सम्बन्ध में खास तौर पर कहना चाहता हूं। हमारे गृह मंत्री जी को याद होगा कि कई महीने पहले लद्दाख के अन्दर एक आन्दोलन उठा था और वह इसलिए था कि लद्दाख के 84 हजार निवासियों की योजनाबद्ध ढंग से बौद्ध धर्म से श्रद्धा हटाने के लिये प्रयास किया गया था। वहां के प्रतिनिधि श्री बाकुला जी ने उस बात को यहां सदन में उपस्थित किया था और सदन ने एकमत से उस समय कहा था कि सदन का एक शिष्ट मंडल लद्दाख की स्थिति देखने के लिये जाये और यहां आकर के सदन को रिपोर्ट दे कि लद्दाख की जनता के साथ में क्या हो रहा है। गजेन्द्रगडकर कमीशन ने भी जो अपनी रिपोर्ट दी है उस में भी लद्दाख के सम्बन्ध में कुछ उन्होंने सुझाव दिया है। जहां उन्होंने कहा है कि लेह और कारगिल के अन्दर डिग्री कालेज खोले जायें, उस क्षेत्र में यातायात के साधन बढ़ाये जायें, बिजली का विस्तार किया जाय और राशन की मात्रा उतनी हो जितनी कश्मीर घाटी को दी जा रही है। गजेन्द्रगडकर कमिशन ने जो सुझाव दिये उन में एक सब से महत्वपूर्ण सुझाव उन्होंने यह दिया कि लद्दाख क्षेत्र का एक कैबिनेट स्तर का मिनिस्टर जम्मू-कश्मीर सरकार के अन्दर होना चाहिये कि

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

जिस को यह विभाग सौंपा जाय ताकि वह लद्दाख के हितों की रक्षा करे । तो मैं जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार के निष्पक्ष आयोग वहां जाते हैं, सारी परिस्थिति को देखने के बाद अपना निर्णय देते हैं क्या भारत सरकार उस रिपोर्ट को फिर जम्मू-कश्मीर सरकार के रहम पर छोड़ देती है । आखिर यह स्थिति कब तक चलती रहेगी ? सरकार को जम्मू-कश्मीर की एकता को बनाये रखना है तो जो चर्चा आज प्रारम्भ हुई है इस की पृष्ठभूमि में इस सरकार को कुछ मजबूत निर्णय लेना चाहिये ताकि लद्दाख और जम्मू क्षेत्र के निवासियों के मन में पृथकता की भावना पैदा न हो ।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : सभापति जी, बाबू जगजीवन राम जी यहां बैठे हुए थे, वह चले गये इस का मुझे अफ़सोस है । 22 वर्ष तक कांग्रेस में मंत्री रहने के बाद भी आज यह दुखद समाचार सुनने को मिला है कि कश्मीर में संविधान की धारा 335 लागू नहीं है, और धारा 370 को संविधान से निकाल दिया जाय । मैं चव्हा ण साहब को धन्यवाद दूंगा अगर वह कश्मीर में धारा 335 लागू करें और 370 धारा को हटा दें जिस से वहां के हरिजनों के साथ न्याय किया जा सके । अगर कश्मीर को अपने साथ रखना है तो धारा 335 को लागू कीजिये और हरिजनों के साथ न्याय कीजिये । आज जो यह ढोल पीटा जा रहा है कि हरिजनों के लिये रिजर्वेशन है तो यह केवल कागज पर ही है, जब कि वास्तव में लोगों को इस का लाभ नहीं मिलता है । मेरे मित्र सादिक़ साहब, बख्शी साहब और शेख अब्दुल्ला वहां मुख्य मंत्री रहे हैं, और शेख़ साहब को जवाहर लाल जी के दायें हाथ माने जाते थे उन्होंने इस को लागू नहीं कराया । आपने अभी जवाहर लाल जी की बात की, मैं कहना चाहता हूं कि हिस्ट्री वल नाट क्लीयर पंडित जी जो गेम वह देश के अन्दर खेल गये हैं । हरिजनों और मुसलमानों के साथ आप कहते हैं कि बड़ी हमदर्दी है, लेकिन यह नमूना है आप का कश्मीर में । वहां आप ने गरीबों को हेल्प नहीं दी । कश्मीर में दाम की जो बात इन्हों ने कही वह तो अयां हैं : जस करनी तस भोगो ताता, नरक जात क्यों पछताता । जैसा आपने अभी तक किया है उस का फल भोगोगे । जनसंघ के नाम का आप ने जिक्र किया । आप ही उन को बढ़ावा दे रहे हैं । माननीय इन्द्रजीत मल्होत्रा जी अपने मे आग बो रहे हो । हम आग नहीं बोना चाहते । आप और आग़ा साहब कितने पानी में हैं वह मैं जानता हूं ।

मैं माननीय गजेन्द्रगडकर जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो उन्हों ने रिकमेन्ड किया है कि साढ़े सात परसेंट वहां हरिजनों की आबादी है इसलिये उन को वहां रिजर्वेशन दो । खूब इंसाफ़ हैं तेरे अंजुमने नाज में । मैं कहता हूं कि आप रिजर्वेशन हटा दें और लड़कों को कम्पटीशन में बैठाओ, जो लड़का आये उस को ले लो । लेकिन आप इंसाफ़ नहीं करना चाहते हो केवल गाल बजाना चाहते हो । बात कहते हो कुछ और करते हो कुछ । इस से स्पष्ट है कि आप के दिल में इंसाफ़ नहीं है ।

मान्यवर, इस देश में हमारी तादाद भी 10 करोड़ है । मुझे याद है कि श्री अब्दुल हकीम को माननीय पंत जी ने कहा था कि हम बाउन्ड हैं माइनारिटी से बात करने के लिये । उस वक्त मुस्लिम लीग, मुसलमानों की आबादी 10 करोड़ के करीब इस देश में भी । 60 मेम्बर जब मुस्लिम लीग के इलेक्ट हो गये तो उन्हों ने कहा कि हम उन से बात करेंगे । इसलिये जब हमारी भी तादाद इतनी है तो हम लोगों को भी आप इग्नोर न करें । माननीय जगजीवन राम जी को कांग्रेस प्रेसीडेंट बना कर यह न समझिये कि आप ने बहुत बड़ा काम किया है । You are digging your own grave. आप सोच लीजिये जो राइट और लैफ्ट कांग्रेस में हो गई, और वह भी दिल्ली में नवम्बर में आप ने माननीय जगजीवन राम जी को प्रेसीडेंट बना दिया, हम ज्यादा रीयली कांग्रेस में हैं, न कि आप । हम एक डिसिप्लिन्ड सिपाही हैं और डिसिप्लिन को मेन्टेन किया है, आप

ने नहीं । इसलिये हमा ी मांग है कि ईमानदारी से अगर हम को आप भार ीय समझते हो तो हमारे साथ भी उचित व्यवहार हो ।

भारतीयकरण की बात कही गयी । उसे के क्या माने हैं ? मेरी राय में भारतीयकरण का मतलब है जो भारतीय हो, जो यहां का अन्न, जल खाये, यहां की धरती माता को अपनी माता समझे वही भारतीय है । यह है भारतीयकरण की परिभाषा । इस का अर्थ किसी पंडित से पूछो, गवार से नहीं । ब्लफ़िंग से काम नहीं चलता ।

Who has corrupted the whole legislature today? Who is responsible for all this corruption? It is this Government. You are responsible.

तो मैं गृह मंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इतिहास में एक अमर कीर्ति कर जाइये । आप जब आये थे तो मैं ने आप की बड़ी तारीफ़ की थी :

चार बांस चौबीस गज, अंगुल अष्ट प्रमाण,
तो ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान ।

लेकिन आप चूक रहे हो । इसलिये मैं पुनः कहना चाहता हूं कि धारा 335 को कश्मीर पर लागू कर के हरिजनों का उद्धार कीजिये ।

इन शब्दों के साथ मैं इस का समर्थन करता हूं ।

श्री कुशोक बाकुला (लद्दाख) : सभापति महोदय, मुझे कुछ विशेष कहना नहीं है और बहुत जल्द मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा । हमारे लद्दाख का इलाका जम्मू कश्मीर के क्षेत्रफल को मिलाकर भी अधिक है । लद्दाख का एरिया करीब करीब 29,000 वर्गमील है और उस बड़े ऐरिया के विकास आदि के लिये सरकार को विशेष प्रयत्न करने चाहिएं । पहले ही मैं श्री गजेन्द्रगडकर कमिशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कह चुका हूं और फिर मैं वहां पर दुहराने की जरूरत नहीं समझता । जैसा मैं ने बतलाया था पहले तो लद्दाख के लोगों को राशन तक नहीं मिलता था लेकिन अब क ीब एक साल से लद्दाख में भी लोगों को राशन मिलने लगा है लेकिन वह लेह और कारगिल के शहरों में मिलता है, गांवों में राशन नहीं मिलता है । हक़ीकत यह है कि हमारे यहां गरीब लोग ज्यादातर गांवों में रहते हैं और उन को भी यह राशन मिलना चाहिए जैसे कि जम्मू, काश्मीर और श्रीनगर में हर एक जगह वह मिलता है । फिर यह राशन भी सब को एक बराबर मिलना चाहिये । लेकिन हमारे वहां यह लोकल और नौनलोकल को राशन सप्लाई करन में फर्क किया जाता है । लेह में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको राशन मिलता है । जैसा मैं ने निवेदन किया लोकल को चावल नहीं देते हैं केवल आटा देते हैं जबकि नौन लोकल को आटा व चावल दोनों ही मिलता है । मेरा कहना है कि लोकल को भी यह आटा और चावल मिलना चाहिए । इसके लिए एक साल हुआ उस समय लोगों ने एजिटेशन भी किया है कि राशन में यह भेदभाव बर्त्ता जाना बंद हो और लोकल और नौनलोकल को एक सा राशन मिले लेकिन अभी यह मांग पूरी नहीं हुई है । मैं चाहता हूं कि यह नाबराबरी राशन के मामले में खत्म की जाय ।

इस के अलावा मैं चाहता हूं कि वहां पर जो कर्मचारी लोग हैं उनकी सीनियारिटी जुनियारिटी सिर्फ लद्दाख के हिसाब से ही होनी चाहिये, जम्मू, कश्मीर को मिला नहीं देना चाहिए । उन की सीनियारिटी जो फिक्स की जाय उस में सिर्फ लद्दाख के लोगों की ही सीनियारिटी जुनियारिटी देखनी चाहिए ।

गजेन्द्रगडकर कमिशन ने वहां की सड़कों और यातायात व्यवस्था के सुधार की भी सिफ़ारिश की है । श्रीनगर से लेह तक जो सड़क बनाई गई है वह पक्की सड़क है और वह मिलिटरी की है लेकिन अपने सिविल इंजीनियरों ने एक भी सड़क पक्की कहीं नहीं बनाई है । लेह से खरजो सड़क बनाई जा रही है लेकिन वह अधूरी है । उस को पूरा करना चाहिये । अभी हमारे यहां यातायात का बड़ा अभाव है । इस के अलावा लेह से खरजो होते हुए न्योमा तक सड़क के

[श्री कुशोक बाकुला]

जरिए मिलाया जाना चाहिये । इसी तरीके से कड़गिल को मुरुकट से सड़क से मिलायें । उस सड़क को पक्की बनाना चाहिए । अभी तक वह सिविल इंजीनियरों द्वारा बनाई हुई कच्ची सड़क है । जम्मू, कश्मीर में जितनी सड़कें हैं वह सब पक्की हैं लेकिन लद्दाख में एक भी पक्की सड़क नहीं है । यह लद्दाख और जम्मू, कश्मीर में फर्क है ।

दूसरा मेरा निवेदन है कि लद्दाख को धारा 335 के अन्तर्गत शैडयूल ट्राइब्स तथा शैडयूल ट्राइब्स ऐरिया में शामिल कर दिया जाय । बैकवर्ड क्लास में तो शामिल कर लिया है लेकिन मेरा निवेदन है कि उसे भी अमल में लाना चाहिये । लद्दाख को शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स ऐरिया में शामिल कराने की मांग करने का कारण यह है कि हमारे लद्दाख के 10, 10, 15-15 और 20, 20 विद्यार्थी टैकनिकल एजुकेशन लेकर निकलते हैं लेकिन उन को इंजीनियरिंग कालिजेज में आगे ट्रेनिंग लेने के लिए सीट्स नहीं मिलती है और नौकरी भी मिलना मुश्किल होता है इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि उसे शैडयूल्ड ट्राइब्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स ऐरिया में शामिल कर दिया जाय ताकि उनकी सीट्स इंजीनियरिंग कालिजेज तथा टैकनिकल ट्रेनिंग में रिजर्व हो जायं और नौकरी में भी स्थान सुरक्षित हो जायें ।

श्री मोलहू प्रसाद (बासगांव) : सभापति महोदय, आप ने जो इस एक घंटे की चर्चा में अपनी पार्टी की ओर से अपने विचार व्यक्त करने के लिये मुझे अवसर दिया उस के लिये धन्यवाद । इस अपने भाषण को प्रारम्भ करते हुए माननीय गृह मंत्री का ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं कि भारत सरकार ने पहली सब से बड़ी गलती यह की कि जम्मू और कश्मीर में अनुसूचित जातियों का रिजर्वेशन तो नहीं रक्खा लेकिन उस ने अन्तर्राष्ट्रीय रिजर्वेशन बना रक्खा है । जब काश्मीर का मामला भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय पंचायत में ले गई तब से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक हस्तक्षेप संरक्षण के रूप में बना हुआ है । मैं उन से कहना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय पता नहीं इस देश के मामलों का किस तरह से मूल्यांकन करती है । दिन रात इस हाउस में चर्चा होती है, अखबारों में छपता रहता है काश्मीर का मामला । अभी कुछ दिन पहले बंगाल की शांति व्यवस्थापक का मामला छपा था । इस सरकार ने पिछडे हुए इलाकों और पिछड़े हुए लोगों की इतनी उपेक्षा की है कि जगह जगह असन्तोष की भावना प्रकट हो रही है । आज पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है, इस के बारे में अखबार वाले सही बात तो छापते नही । वहां स्थिति यह है कि शांति और व्यवस्था के मामले में कानून की धारायें अंग्रेजी राज्य की बनाई हुई हैं जो कि भेदभाव पर आधारित हैं । एक किसी आदमी को मार कर इस तरह हालत खराब कर दे कि हड्डी भर न टूटे तो 323 की रिपोर्ट दर्ज होने पर उस में पुलिस को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है । हमारे पालियामेंट के मेम्बर दिन रात मगर मच्छ के आंसू बहाया करते हैं । अगर उन धाराओं का प्रयोग पश्चिम बंगाल के अलावा दूसरे प्रांतों में बड़े लोग छोटे लोगों पर करते हैं तो कोई चिल्लाता नहीं है पर उस धारा का प्रयोग बंगाल वाले बड़े लोगों पर करते हैं तो इस हाउस में चिल्ल पौं मचती है । इस लिये मैं गृह मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर सही मानों में धरा 323 गलत है तो उस का फौरन संशोधन होना चाहिये वर्ना इस धारा का बड़े लोग छोटे लोगों पर प्रयोग करेंगे और छोटे लोग बड़े लोगों पर करते रहेंगे तथा बदले की भावना बढ़ती रहेगी और सारे देश में शांति व्यवस्था भंग हो जायेगी ।

दूसरी तरफ विभिन्न राज्यों में जो पिछड़ापन है, चाहे सामाजिक पिछड़ापन ही चाहे आर्थिक पिछड़ापन हो या क्षेत्रीय पिछड़ापन हो, उसको ले कर यह बातें बड़ी तेजी से उठ रही हैं । मैं सारे देश के पिछड़े हुए तबकों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान ले जाना चाहता हूं । साथ ही विभिन्न राज्यों में जो कांग्रेसी या गैर-कांग्रेसी सरकारें बन गई हैं उन के गलत परिणाम नजर आ रहे हैं । फर्ज कीजिये कि

केन्द्र में एक पार्टी की सरकार हैं और राज्यों में दूसरी पार्टी की सरकार है। भारतीय संविधान के अन्दर प्रधान मंत्री को अधिकार है कि वह किसी बस्ती में, किसी क्षेत्र में, किसी गांव जिले में जा सकती हैं। शांति और व्यवस्था राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। फर्ज कीजिये राज्य सरकार ने प्रधान मंत्री के आने के ऊपर रोक लगा दी इस लिये कि प्रधान मंत्री के आने से शांति और व्यवस्था बिगड़ सकती है। अगर उसने अपने अधिकार का प्रयोग किया और प्रधान मंत्री ने अपनी स्पेशल फोर्स का प्रयोग किया तो परिस्थिति क्या हो जायेगी ? इस के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय ने कोई विकल्प नहीं ढूंढा है। इस लिये मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं गृह मंत्री का ध्यान देश के पिछड़े हुए इलाकों की ओर, चाहे वह इलाका लद्दाख का हो, चाहे जम्मू का हो चाहे काश्मीर हो या हिन्दुस्तान का कोई इलाका हो, दिलाना चाहता हूं। राष्ट्रीय व्यावहारिक और आर्थिक परिषद् ने पिछड़े हुए इलाकों के विकास के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट 1955-56 में दे दी थी। पर वह गृह मंत्रालय में पड़ी हुई है। आज अपने राज्यों और क्षेत्रों के असन्तुलन को समाप्त करने के लिये भारत सरकार का योजना आयोग बना हुआ है लेकिन उस में बैठे हुए मगर मच्छ इस देश के असन्तुलन को समाप्त करने के लिये कोई कारगर उपाय नहीं ढूंढ पा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा, कि आप समझ जायें कि इस देश की पुलिस और इस देश की व्यवस्था को देखना पड़ेगा कि किस जिले में कितनी आबादी है और उस आबादी को नियन्त्रित करने के लिये आप के जेलों में कितनी जगह है, नहीं तो क्या जेलों के अलावा होम मिनिस्टर के बंगले में उन को कैद रक्खा जायेगा ? अगर यह असन्तोष बढ़ गया तो गोली और पुलिस के बल पर उस को रोका नहीं जा सकता है। इस के लिये विश्वास प्राप्त करने की आवश्यकता है।

मैं इन बातों की ओर ध्यान दिलाते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि असन्तुलन को समाप्त करने के लिये आप कोई ठोस कार्रवाई करें और योजना आयोग में जो मगर मच्छ बैठे हैं पहले उन को निकाल बाहर किया जाय। उन में अक्ल जरा भी नहीं है लेकिन सारी अक्ल के ठेकेदार बने हुए हैं। साथ ही इस देश की पंच-वर्षीय योजनाओं में आमूल चूल परिवर्तन किया जाय तभी इस देश में शांति और व्यवस्था बनी रह सकती है नहीं तो यह मामला बिगड़ जायेगा।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN): Mr. Chairman, Sir, about this discussion, whether it was necessary or not, there can be two views about it. But now that the discussion has taken place, it is better that I put in in a proper perspective because some Members did express a view that the discussion about one particular State, about one particular area, might create a feeling that we are discriminating in having discussions about regional balances or imbalances as such. I do not want to go into other arguments because it is much better to come to the facts themselves.

It is true that the Gajendragadkar Commission was appointed and, I must say—I know something about the genesis of the appointment of this Commission, that it goes to the credit of the Chief Minister of Jammu and Kashmir that, when this matter about imbalances or about regional developments was raised and the charges about discrimination were made, he had the courage to agree to appoint the Gajendragadkar Commission. The Gajendragadkar Commission has also come out with certain specific recommendations. But one thing must be said that there are certain regional imbalances, as there are regional imbalances in many other States in the country. And one thing that the Gajendragadkar Commission has categorically said, and that was quoted by the hon. Member, Shri H. N. Mukerjee, is that there was no deliberate attempt or any planned attempt to discriminate against one area or another.

There are some historical reasons; there are certain climatic reasons. As far as Ladakh is concerned, till '60s began, the area as such was not, really speaking, open and there were no communciations. Only after the Border

[Shri Y. B. Chavan]

Roads Organisation was established certain strategic roads were undertaken and, at present, thanks to the work of the Border Roads Organisation, the area is somewhat open. The hon. Member, Shri Kushok Bakula, did mention about certain difficulties of internal communications in certain areas. Certainly, that requires looking into. But, as I said, there are certain historical reasons and there are certain climatic reasons also because, as we see, this State consists of three main regional areas, Jammu, the Kashmir valley and the Ladakh area, and in these three regions, geographically and climatically, there are certain imbalances. There are certain reasons for that. So, certain imbalances are there.

I entirely agree that these imbalances have to be removed. But they can be removed in certain stages. There have been certain phased programmes about it. The recommendations which the Gajendragadkar Commission has made are in details and they are about the educational facilities, they are about the services and they are about the economic development. There are certain recommendations about the rations also. That was also one of the most complicated controversial aspect.

Now, the information that I have indicates that, in all, about 42 recommendations were made by the Gajendragadkar Commission. The report that we have received from the State Government shows that nearly 35 recommendations, out of 42 recommendations, have been accepted. Maybe, there are some important recommendations about which the hon. Member, Shri Inder J. Malhotra did make a mention, which are not accepted. But I know the reasons for it because there are certain recommendations which have got some specific political overtones, say, for instance, the percentages of posts in the Cabinet, etc. These are matters in respect of which it is very difficult for any Government to bind themselves to any certain formula. But as far as the recommendations about economic development are concerned, certainly, some recommendations have been accepted in principle, not only have been accepted but some of them have been implmented as well .

As far as the Arts college in Ladakh is concerned, it is accepted and, not only accepted, the Education Minister was just telling me that they have made a certain provision about it in this year's budget and about Rs. 90,000 have been provided. The same thing is about the Medical College in Jammu.

Then, the hon. Member, Shri Inder J. Malhotra, said that the Central Government has some responsibility. Whatever responsibility the Central Government have, we do not want to disown it. But that is specifically about the economic development. I know that it is the responsibility of the Central Government to give all cooperation. But the implementation of it will have to be the responsibility of the State Government. If there are any difficulties in their way, it will be our duty to help them. For that purpose, as far as financial aspects are concerned, and so far as the implementation process are concerned, the Government of India have appointed a 4-Ministers committee, which periodically meets either in Delhi or in some part of Kashmir, goes into the implementation progress, finds out whether there are any bottlenecks, finds out any financial difficulties there may be and they make recommendations to the Government of India. I would like to emphasize that Government has made it its own concern to see that the developmental programmes in Kashmir are expedited and are not allowed to slacken.

Now, coming back to the question of ration, it was true that there were hard feelings and there were certain differences in the quantum of rations and in prices, etc. I find that immediately after the recommendations were received, the Kashmir Government started taking certain steps about them. Further, there were some differences between the locals and non locals in Ladakh. There were certainly some differences in the ration quantum and prices, particularly. Then, I think, they took a principled decision about the prices and they fixed certain prices for those people who have got an income of over Rs. 600 per month. For them a certain rate was fixed and a little reduced rate of price was fixed for the low income group people. But, naturally, there was one question that certain quantum of ration was given in Srinagar and a certain other quantum of ration was given in Jammu. That difference is there. Very recently, may be, perhaps as a result of the agitation, certain discussions were

held with local leaders there and at the present moment I am told that certain increases have been made in the quantum of ration to be given in Jammu. Formerly it was 10 plus some points. Now it is said per capita 11 kg. is given per month in Jammu. I know it is somewhat less than in Srinagar itself. But it has certainly increased and the increased quota is to be given in the form of wheat ration. I think the other people also have accepted it as a fair and reasonable solution.

Hon. Member, Shri Vajpayee, made a mention about the Salal Hydro-electric project. He asked, what is going to be its estimated cost? My information is that its cost is likely to Rs. 55 crores and the Central Government has accepted it as a central project. Steps to set up the requisite machinery to execute he work are now under consideration of the Central Government. So, as far as the economic development projects are concerned, things have been undertaken very fast.

The Hon. Member has made certain mention about the problem of refugees, land problem and the question of backward areas. For example, there was a question about treating the local people in Ladakh as backward people. Hon. Member, Shri Kushok Bakula, not on this motion, but earlier when he spoke about the Ladakh problem, mentioned that they should be treated as tribals. That is perhaps an easy suggestion to make but is difficult to accept. But there is some point that these people are backward. A recommendation has been accepted to treat them as backward people and certain percentages have been fixed for them in the general quota of services. I do not want to go into the details. The basic point is that it is conceded that there are certainly some imbalances in certain aspects. It has been accepted in principle, but there was no deliberate intention of continuing them or perpetuating them. The question is of taking steps from time to time to bring about that balance which is necessary in these matters. I am sure the attitude which the Jammu & Kashmir Government showed in appointing a Commission will be appreciated. They said they are prepared for some independent person to go into the matter; let him come and look into it; if there was found anything, they said, they were prepared to accept his recommendations and implement them. This attitude has been shown by the Kashmir Government which is really very creditable, and I have no doubt that when a Government has accepted a commission, its recommendations will be implemented. For that matter, they will need co-operation and support from the Central Government which, I am sure, will not be wanting.

श्री शिव नारायण : हरिजनों की रिज़र्वेशन के लिये कुछ नहीं कहा ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : इस के लिये भी कहना चाहिये था । आर्टिकल 335 के अन्तर्गत रिज़र्वेशन की बात है, उस को जम्मू काश्मीर में लागू नहीं किया है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उस के बारे में मैं देख लूंगा ।

MR. CHAIRMAN: The House now stands adjourned to meet at 11 A.M. tomorrow.

19.26 HRS.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, April 3, 1970/Chaitra 13, 1892 (Saka).